न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारीः	संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः	56 / 2019
दायर दिनांकः	01.07.2019
निर्णय दिनांकः	13.05.2022

उनवान

रामफूल पुत्र सांवल्या जाति मीना निवासी ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र भौर्या जाति मीना निवासी ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा।
2. तहसीलदार, दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956 इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 52 रकबा 0.36 है0, 53 रकबा 0.64 है0, 54 रकबा 0.45 है0, 54/914 रकबा 0.04 है0 भूमि वाके ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा में स्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी ने उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जाना अवगत कराया है तथा उक्त भूमि की पत्थरगढी कराने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या–1 की तामील हो जाने के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार दौसा (अप्रार्थी संख्या–2) ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त भूमि रामफूल पुत्र सांवल्या हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान में फसल रबी में चना फसल बोई गई है। फसल कटने के उपरान्त सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना संभव है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त खसरा नम्बरों की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। तहसीलदार, दौसा द्वारा पत्थरगढ़ी करवाने में कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, दौसा को आदेशित किया जाता है कि भूमि आराजी ख0नं0 52 रकबा 0.36 है0, 53 रकबा 0.64 है0, 54 रकबा 0.45 है0, 54/914 रकबा 0.04 है0 भूमि वाके ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा का अनुभवी पटवारियों/भू–अभि0निरी0 की टीम गठित कर स्वयं की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। सीमाज्ञान/पत्थरगढी के दौरान अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)